सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 01/2015

1. सरोज पुत्री श्री साहबराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा जिला श्रीगंगानगर
2. शान्ति देवी पत्नी श्री कृष्णलाल पुत्री तारूराम जाति जाट निवासी गांव ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. धनराज पुत्र तारूराम जाति जाट निवासीयान दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. ओमप्रकाश पुत्र तारूराम जाति जाट निवासीयान दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर
2. भवंरलाल } पिसरान मनसुख पुत्र गणपतराम जाति मीणा निवासी धोलीपाल
3. राजाराम } तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4. रामप्यारी बेवा तारूराम निवासी गांव दौलतपुरा जिला श्रीगंगानगर।
5. रायसिंह पुत्र तारूराम (मृतक)
   - 5/1. संतोषदेवी पत्नी
   - 5/2. अनिता पुत्री
   - 5/3 विकास पुत्र

   } पिसरान रायसिंह जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. सुन्दरदेवी पत्नी देवीलाल
7. मेनपाल
8. सुभाष

   } पिसरान देवीलाल निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. इन्द्रादेवी पत्नी श्री राजेन्द्र पुत्री श्री तारूराम जाति जाट निवासी केरियांवाली तहसील फाजिल्का जिला फिरोजपुर (पंजाब)
10. मानादेवी पत्नी श्री सुभाष पुत्री श्री तारूराम जाति जाट निवासी केरियावाली तहसील फाजिल्का जिला फिरोजपुर (पंजाब)

अप्रार्थीगण

प्रकरण अन्तर्गत धारा 13(1–क) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थिति : 1. श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, स्टेट की ओर से
2. श्री जगमोहन आहुजा, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 2 व 3 की ओर से।
3.श्री काशीराम रणंवा अधिवक्ता प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 व अप्रार्थीगण सख्या 4 ता 10

::आदेश::

दिनांक : 29.06.2018

सक्षेंप में प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि चक 14 बी.एन. डब्ल्यू के पत्थर नम्बर 5/135 की 20 बीघा व पत्थर नम्बर 4/135 की 4 बीघा कुल 25.00 बीघा भूमि को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 31.03.2008 के द्वारा धारा 13ए (1–ए) के तहत अवैध बेचान होने के कारण बहक सरकार रिज्यूम

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

की है। चक 14 बी.एन. डब्ल्यू की अपीलाधीन भूमि दिनांक 22.05.1957 को गणपतराम वल्द भूरा कौम मीणा को आवंटन हुई थी। आवंटी गणपतराम ने उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 02.09.1965 को साहबराम व तारूराम को प्रतिफल सहित विक्रय करके कब्जा भूमि खरीददार को सौंप दिया था। धारा 13 ए का प्रकरण शुरू होने पर अपीलान्ट खरीददार ने दिनांक 29.12.1989 को शमनफीस 18000/– रूपये जमा करवा दिये थे। अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्तकता) श्रीगंगानगर ने निर्णय दिनांक 05.12.1995 से धारा 42 बी का उल्लंघना मानते हुए अपीलाधीन भूमि रिज्यूम कर दी गई थी। अपीलान्ट व अन्य खरीददार ने अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्तकता) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 05.12.1995 के विरूद्व अपील संख्या 693/95 व 694/95 माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर में प्रस्तुत की। जिसका निर्णय दिनांक 30.04.1997 होकर अपील स्वीकार करते हुए अपीलाकृत आदेश दिनांक 05.12.1995 निरस्त कर दिया व पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए "अधीनस्थ न्यायालय नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करें" का आदेश पारित कर दिया। इस पर न्यायालय हाजा ने सुनवाई पश्चात निर्णय दिनांक 31.03.2018 से विवादित रकबा रिज्यूम कर बहक सरकार लेने के आदेश दिये जिनकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर मे होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 24.08.2015 द्वारा यह विवेचन करते हुए कि–" अपीलाधीन भूमि दिनांक 02.09.1965 को क्रय की थी और इस बेचान में विक्रेता की जाति मीणा थी। दिनांक 02.09.1965 को प्रभावी अधिसूचना में मीणा जाति शेडॅयुल ट्राईब में नहीं थी ओर मीणा जाति सन् 1977 में जरिये संशोधन शेडॅयूल ट्राईब में शामिल की गई थी। इसलिए अपीलाधीन प्रकरणा धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का नहीं होना साबित है और प्रकरण केवल धारा 13 ए उपनिवेशन अधिनियम के तहत विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध बेचान का कहते हुए आदेश करने में गलती की है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2008 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे नियमन की शर्तो की जांच कर पक्षकारान को साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करें", के निर्देश दिए।

उक्त निर्णय की पालना में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को तलब किया गया। उनको अपने–अपने अधिवक्ता के मार्फत सुना गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि मौजूदा मामले में धारा 13 ए उपनिवेशन अधिनियम के तहत मामला नियमन योग्य नहीं है क्योंकि उन्ही मामलो का नियमन किया जा सकेगा जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(ख) में प्रतिबंधित नहीं हों। हस्तगत प्रकरण में यह हस्तांतरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 42(ख) के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है। उन्होने विधिक अध्यादेश/अधिनियम "TRIBES ORDERS [AMENDMENT] ACT 1956" प्रस्तुत कर बताया कि "**मीणा**" जाति इस अध्यादेश के तहत समस्त राजस्थान में प्रारम्भ से ही अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित की हुई है जो क.स. 5 पर दर्शाइ गई है। जहां तक वकील प्रार्थी का यह कहना कि मीणा जाति Latest Revised List Scheduled Castes and Scheduled Tribes [1978] से प्रभाव में आई है, इसके परिप्रेक्ष्य में ग्राहय

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

नहीं है।ऐसी स्थिति यह हस्तान्तरण नियमन योग्य नहीं है। अतः रकबा रिज्यूम कर उसका कब्जा बहक सरकार लिया जाना चाहिए।

राजकीय अधिवक्ता ने इस सम्बन्ध में गजट नोटिफिकेशन :–SEPTEMBER 6-1950 भी पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 2 व 3 की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने भी अपनी बहस में कथन किया कि मौजूदा मामले में धारा 13 ए उपनिवेशन अधिनियम के तहत केवल उन्ही मामलो का नियमन किया जा सकेगा जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(ख) में प्रतिबंधित नहीं हों। वर्तमान प्रकरण में यह हस्तांतरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 42(ख) के अन्तर्गत पूर्णतया प्रतिबन्धित है।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर राजस्थान के आदेशानुसार मृतक साहबराम व तारूराम के विधिक वारिसान को समुचित सुनवाई का अवसर दिया गया। उनकी ओर से वकील श्री काशीराम रणंवा उपस्थित हुए। उन्होने बहस की।

अधिवक्ता प्रार्थी संख्या 1 ता 4 व अप्रार्थी संख्या 4 ता 10 ने बहस में यह स्वीकार किया है कि मीणा जनजाति सन् 1956 से ही राजस्थान में अधिसूचित अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) की श्रेणी में शुमार है। उन्होने यह भी तर्क दिया कि केतागण ने भूमि खरीद करने के बाद धारा 13 ए का प्रकरण प्रारम्भ होने पर अधीनस्थ न्यायालय के माध्यम से दिनांक 29.12.1989 को शमन फीस 18000/– रूपये जरिये चालान जमा करवा दिये थे। शमन फीस जमा करवाने के बाद कानूनन भूमि रिज्यूम नहीं की जा सकती और भूमि का नियमन किया जाना चाहिए था। शमन फीस पर्याप्त न माने जाने पर पर्याप्त शमन राशि अपीलांट से जमा करवाई जा सकती थी परन्तु ऐसा नहीं करके भूमि को रिज्यूम किया जाना विधि–विरूद्व है।

बहस पर मनन किया । प्रस्तुत विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए मामले में नियमन कानूनन प्रतिबंधित होने से नहीं किया जा सकता। नियमन करने से धारा 42(ख) आर.टी. एक्ट का उल्लघन होता है जो समुचित नहीं है। शमन फीस भी केवल इस तर्क पर जमा कराई गई है कि मामले में धारा 42 (ख) का उल्लघन नहीं हो रहा है परन्तु वास्तव में तथ्य यह है कि सशर्त जमा शमन फीस नियमानुसार ग्राहय ही नहीं है। प्रार्थी चाहे तो वह इसकी वापसी के लिए आवेदन कर ले।

प्रकरण में यह एक सुस्पष्ट तथ्य है कि प्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 एवं अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 10 के पूर्वज/पिता क्रमशः साहबराम व तारूराम ने अपीलाधीन भूमि दिनांक 02.09.1965 को क्रय की थी जिसमें विक्रेता की जाति **मीणा** (एस.टी.) थी। उस समय विक्रेता मीणा (एस.टी.) द्वारा क्रेता **जाट** (नोन एस.टी.) को बेचान किया गया था।

प्रस्तुत अधिनियम " The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders [Amenment] Act 1956 [Act No 63 pf 1956] दिनांक 25.09.1956 For Part XII Rajasthan में क्रमांक 5 पर Mina **(मीणा)** अनुसूचित जनजाति सम्मिलित होकर उल्लिखित है। इसके प्रकाश में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के रिमाण्ड निर्णय में अंकित तथ्य सुसंगत नहीं है कि– " दिनांक 02.09.1965 को प्रभावी अधिसूचना में मीणा जाति शडेयूल ट्राईब में नहीं थी और मीणा जाति सन् 1977 में जरिये संशोधन शेडयूल ट्राईब में शामिल की गई थी। " माननीय

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय ने निर्देश दिये कि– ''इसलिए अपीलाधीन प्रकरण धारा 42(ख) आर.टी. एक्ट का होने की प्रस्तुत साक्ष्य के सन्दर्भ में जांच करें।''

माननीय न्यायालय के निर्देशो के कम में प्ररकण में नियमन की शर्तो की जांच करने पर स्पष्ट है कि यह विकय बिना जिला कलक्टर की पूर्वानुमति बेचान करने के सम्बन्ध में नियमन **धारा 13ए की शर्तो के अधीन करने** के लिए तो ग्राहय हो सकता है परन्तु आर.टी. एक्ट की धारा 42 (ख) द्वारा प्रतिबंधित है। लिहाजा इसका नियमन किसी भी शर्त पर एवं किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। वक्त विकय विकेता की जाति **मीणा** (एस.टी.) होने के साथ–साथ आर.टी. एक्ट की धारा 42 (ख) प्रभावशील थी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार सादूलशहर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 13 ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम स्वीकार किया जाता है। आवेदन पत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि चक 14 बी.एन.डब्ल्यू के पत्थर नम्बर 5/135 मु.नं. 45 की 20.00 बीघा व पत्थर नम्बर 4/135 मु.नं. 44 की 5.00 बीघा कुल 25.00 बीघा भूमि को कानूनी प्रावधानों के विपरीत हस्तांतरण करने के कारण रिज्यूम की जाकर अविलम्ब कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सादूलशहर इसकी पालना करें। आदेश की प्रति तहसीलदार सादूलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/6/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर